जेवर एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश के अन्य एयरपोर्टस के विस्तार/निर्माण, हिण्डन एयरबेस तथा आर0सी0एस0 के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 07 मार्च, 2018 अपरान्ह 04 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

(उपस्थिति संलग्न है)

1- हिण्डन एयरबेस

(1) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न विगत बैठक दिनांक 05 जनवरी, 2018 में लिए गए निर्णय के क्रम में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा किए गए संयुक्त सर्वे के आधार पर जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा बैठक में हिण्डन एयरबेस पर सिविल ऐन्क्लेव एवं मार्ग निर्माण से सम्बन्धित कार्ययोजना प्रस्तुत की गई।

(2) सर्वे/निरीक्षण के अनुसार टर्मिनल के प्रयोग के लिए 22,628 वर्ग मीटर और सम्पर्क मार्ग के लिए 19,411 वर्ग मीटर इस प्रकार कुल 42,069 वर्ग मीटर भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें से 30,165 वर्ग मीटर कृषक भूमि 11,400 वर्ग मीटर आवास विकास परिषद की भूमि तथा 504 वर्ग मीटर सिंचाई विभाग की भूमि है।

(3) भूमि का लीज रैन्ट तय करने के सम्बन्ध में बताया गया कि कृषकों द्वारा 475/- रूपए प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष लीज रेट की मांग की जा रही है। इस विषय पर गठित समिति द्वारा 200/- रूपए प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष लीज रैन्ट उपयुक्त बताया गया है तथा 200/- रूपए प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष लीज रैन्ट से 42,069 वर्गमीटर भूमि को लीज पर लिए जाने की वार्षिक आवर्तक लागत रू0 84,13,800/- आगणित की गई है।

(4) जिलाधिकारी द्वारा एयरपोर्ट से सिकन्दरपुर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई 1260 मीटर है, में से 630 मीटर टुकड़े पर सड़क निर्माण और इस टुकड़े के अन्तर्गत कुछ प्लाट्स के समतलीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित प्रारम्भिक आगणन 659.00 लाख रूपए प्रस्तुत किया गया है। आवास विकास परिषद के स्वामित्व का दूसरा 630 मीटर लम्बा टुकड़ा जिस पर 18 मीटर चौड़ा मार्ग पहले से बना हुआ है, की राईडिंग क्वालिटी ठीक नहीं है और इसके सुदृढ़ीकरण हेतु 240.75 लाख रूपए का आगणन प्रस्तुत किया गया है। इस सम्पर्क मार्ग पर एयरपोर्ट तक प्रकाश व्यवस्था हेतु रू0 66,55,907/- का नगर निगम द्वारा गठित आगणन प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार मार्ग के निर्माण, मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था पर कुल रू0 9,66,33,907/- का अनावर्तक तथा भूमि को लीज पर लेने हेतु रू0 84,13,800/- का आवर्तक व्यय अनुमानित बताया गया।

(5) चूंकि हिण्डन को आर0सी0एस0 एयरपोर्ट के रूप में मान्यता नहीं मिली है, अत: यह राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य आर0सी0एस0 हेतु किए गए एम0ओ0यू0 से आच्छादित नहीं है। उक्त स्थिति के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(क) एयरपोर्ट् तथा सड़क हेतु लीज पर लिए जाने वाली भूमि की लीज की आवर्ती लागत पर विचार कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी, गाजियाबाद को यथाशीघ्र अवगत कराया जाए।

(ख) एयरपोर्ट् के आन्तरिक विकास का कार्य तथा हवाई सेवाओं के संचालन का समस्त कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

(ग) जिलाधिकारी, गाजियाबाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संसूचित लीज रैन्ट पर कृषकों से सहमति प्राप्त करके अग्रेतर कार्यवाही करेंगी।

(घ) टर्मिनल बिल्डिंग तथा सम्पर्क मार्ग निर्माण के लिए आवश्यक भूमि को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लीज पर लिया जाएगा।

(ड़) सम्पर्क मार्ग के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय बजट से कराया जाएगा।

(च) प्रकाश व्यवस्था का कार्य नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा अपने बजट से कराया जाएगा।

(छ) विद्युत लाईन का कार्य नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा अपने बजट से कराया जाएगा।

2- जेवर एयरपोर्ट

(1) यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि जेवर एयरपोर्ट के लिए Social Impact Assessment (SIA) की कार्यवाही गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा द्वारा लक्षित समय मार्च, 2018 तक पूर्ण कर ली जाएगी। SIA की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर पक्षकारों की सुनवाई की कार्यवाही की जाएगी तथा सुनवाई के उपरान्त फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा रिपोर्ट शासन के राजस्व विभाग को सौंपी जाएगी तथा अग्रेतर कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग द्वारा रिपोर्ट का मूल्यांकन विशेषज्ञ समिति से कराया जाएगा।

(2) जेवर एयरपोर्ट के लिए कन्सलटैन्ट कम्पनी Price Waterhouse Coopers द्वारा किए जा रहे अध्ययन की प्रगति के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण किया गया। ग्रेटर नोएडा से जेवर तक मैट्रो कनैक्टिविटी का प्रस्ताव यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया है जिस पर 03 माह में निर्णय होने की सम्भावना है। बताया गया कि इस पर होने वाले व्यय का आंशिक वहन राज्य सरकार को करना होगा।

(3) जेवर एयरपोर्ट के सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्राप्त हो चुकी है। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजना हेतु भूमि अधिग्रहण/क्रय के लिए अनुमानित लागत की वित्तीय व्यवस्था हेतु विकल्पों का अध्ययन कर एक आख्या 15 दिन में प्रस्तुत की जाए ताकि इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सके।

(4) उक्त स्थिति के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(क) Social Impact Assessment के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन राजस्व विभाग द्वारा तत्काल किया जाए।

(ख) Price Waterhouse Coopers द्वारा आवागमन/यातायात हेतु जेवर एयरपोर्ट से कनैक्टिविटी के

लिए Low cost high speed समाधान के कुछ विकल्प प्रस्तुत करे जाएं तथा यातायात की सुगमता हेतु दिल्ली से कनैक्टिविटी तथा डैडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर से कनैक्टिविटी का पुन: अध्ययन किया जाए।

(ग) यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रायोजना हेतु भूमि अधिग्रहण/क्रय के लिए अनुमोदित लागत की वित्तीय व्यवस्था हेतु विकल्पों का अध्ययन कर एक आख्या 15 दिन में प्रस्तुत की जाए ताकि इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सके।

3- <u>उत्तर प्रदेश में अन्य एयरपोर्टस का विकास</u>

क- <u>आगरा एयरपोर्ट</u>

(1) आगरा सिविल ऐन्क्लेव के लिए जिला प्रशासन द्वारा आपसी समझौते के आधार पर क्रय हेतु पूर्व से चिन्हित भूमि के लिए कृषकों द्वारा अनुमन्य दर से अधिक दर मांगी जा रही है। मांगी जा रही बढ़ी दर तथा 2.5 एकड़ अतिरिक्त भूमि के क्रय पर जिला प्रशासन के प्रस्तावानुसार रू0 55.00 करोड़ का व्यय निहित है।

(2) उक्त के परिप्रेक्ष्य में मितव्ययिता की दृष्टि से बैठक में निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पुन: ऑकलन करते हुए बताया गया कि क्रय हेतु अवशेष भूमि को छोड़ते हुए सिविल ऐन्क्लेव का निर्माण कराया जा सकता है।

(3) उक्त स्थिति के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(क) क्रय हेतु अवशेष भूमि को छोड़ते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सिविल ऐन्क्लेव के निर्माण के सम्बन्ध में राज्य सरकार को संशोधित प्लान उपलब्ध कराया जाए।

(ख) लिंक टैक्सी ट्रैक के निर्माण हेतु 2.5 एकड़ अतिरिक्त भूमि यथाप्रक्रिया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संशोधित प्लान प्राप्त होने पर जिला प्रशासन, आगरा द्वारा तदनुसार संशोधित भूमि क्रय का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए और जिला प्रशासन के पास अवशेष रू0 18.00 करोड़ की धनराशि से 2.5 एकड़ भूमि क्रय के लिए आवश्यक धनराशि व्यय करने की अनुमति शासन से प्राप्त की जाए।

ख- <u>लखनऊ एयरपोर्ट</u>

(1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा monetization हेतु प्रस्तावित भूमि का मूल्य लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा रूपए लगभग 244/- करोड़ ऑकलित किया गया है। इस धनराशि को लखनऊ

विकास प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाएगा। इस सन्दर्भ में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न दो अनुरोध किए गए है:-

(अ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ली जाने वाली भूमि के मूल्य पर रजिस्ट्री हेतु आने वाले स्टाम्प शुल्क व्यय से छूट प्रदान कर दी जाए।

(ब) भू-उपयोग को आवासीय/व्यावसायिक में परिवर्तन हेतु परिवर्तन शुल्क की धनराशि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को उपलब्ध करा दी जाए।

(2) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन का शुल्क देने में असमर्थता व्यक्त की गई।

(3) उक्त स्थिति के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(अ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से ली जाने वाली भूमि की रजिस्ट्री हेतु ऑकलित स्टाम्प शुल्क से लखनऊ विकास प्राधिकरण को छूट प्रदान कराने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

(ब) भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क (जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण को ही प्राप्य है) के बिना ही लखनऊ विकास प्राधिकरण को इस भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किए जाने की अनुमति हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

4- <u>आर0सी0एस0 के सम्बन्ध में</u>

(1) अपर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) द्वारा अवगत कराया गया कि एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए सभी 11 एयरपोर्टस हेतु 500 पुलिसकर्मी तथा अग्निशमन सेवाओं हेतु 75 अग्निशमन कर्मी चयनित किए गए है। इन कर्मियों को Bureau of Civil Aviation Security तथा अन्य सुसंगत मानकों के अनुरूप ट्रेनिंग दिलाए जाने की आवश्यकता है और इस हेतु Bureau of Civil Aviation Security से अनुरोध भी किया गया हैं किन्तु ट्रेनिंग स्लॉट न मिल पाने के कारण ट्रेनिंग अभी नहीं हो पायी है। इस सम्बन्ध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि अग्निशमन सेवाओं के लिए उनका अलग से फायर ट्रेनिंग सेन्टर दिल्ली में है और सुरक्षा सम्बन्धी ट्रेनिंग Bureau of Civil Aviation Security द्वारा दिल्ली तथा कोलकाता में कराई जाती है।

(2) विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि आर0सी0एस0 के अन्तर्गत सभी एयरपोर्टस को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु कार्ययोजना तैयार कर ली गई है जिसमें एयरपोर्टस को 4 लेन मार्ग से जोड़े जाने की योजना है।

(3) नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कुशीनगर एयरपोर्ट का चयन द्वितीय चरण की बिडिंग में नहीं हुआ है, अत: कुशीनगर एयरपोर्ट को आर0सी0एस0 की अगली बिडिंग में चयनित किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाए तथा कुशीनगर में टर्मिनल बिल्डिंग का जीर्णोद्धार कराया जाएगा व शीघ्र एयरपोर्ट तैयार कर हवाई सेवाओं के संचालन हेतु उपयुक्त बनाया जाए।

5/...

(4) उपर्युक्त स्थिति के आलोक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

(क) सुरक्षा तथा अग्निशमन कर्मियों की ट्रेनिंग हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण शीघ्र स्लॉट आवण्टित कराए।

(ख) सुरक्षा एवं अग्निशमन सम्बन्धी उपकरणों की आवश्यकता एवं एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों/अग्निशमन कर्मियों की आवश्यकता का ऑकलन कर प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को शीघ्र अवगत कराया जाए।

(ग) सम्बन्धित एयरपोर्टस पर स्थापित होने वाले सुरक्षा एवं अग्निशमन उपकरणों का क्रय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाए और उन्हें अपनी नीति के अनुसार इन एयरपोर्टस पर उपलब्ध कराया जाए। प्राधिकरण द्वारा शीघ्र इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्णय कराकर राज्य सरकार को सूचित किया जाए।

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा शीघ्र ही राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से यह अवगत कराया जाए कि एयरपोर्टस के लिए प्राधिकरण द्वारा कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी तथा कौन सी सुविधाएं राज्य सरकार को उपलब्ध करानी है।

(ड़) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के आर0सी0एस0 एयरपोर्टस हेतु अपनी आख्या 07 दिन में उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित की जाएगी।

(च) आर0सी0एस0 के अन्तर्गत चयनित सभी एयरपोर्टस का मास्टर प्लान (जिसमें वर्तमान स्ट्रक्चर, फ्यूचर डैवलपमैन्ट योजना, कार पार्किंग आदि को सम्मिलित करते हुए) तैयार किया जाए और एयरपोर्ट परिसर के आस-पास के क्षेत्र में अन्य निर्माण कार्यों को regulate करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या-19/2018/468/छप्पन-2018-31/2016 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक : 08 मार्च, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण।

2- अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।

3- जिलाधिकारी, गाजियाबाद/आगरा/लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।

4- उपाध्यक्ष, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।

5- विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।

6- स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

7- निजी सचिव, विशेष सचिव/प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।